

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अध्यादेश

(पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठाधीन अधिकारी :- शैलेश सुराणा (RAS)

उपदान

श्री नरेश कुमार वीरहा वनाम श्री लक्ष्मण

दावा बाबत :- धारा 53-188 आर टी एक्ट

सूकदमा नम्बर :- 2/2014 रा.वा.

निर्णय दिनांक :- 29.06.2015

वादी की ओर से नरेश कुमार वीरहा की व प्रतिवादी की ओर से लक्ष्मण की उपस्थिति में इस वाद में

आज तारीख 29.06.2015 को शैलेश सुराणा (नाम पीठाधीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी अध्यादेश के समक्ष आन्तम
निपटार के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा कानदर की जमाबन्दी
संवत 2067 से 2070 के खाता नम्बर 609 तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता नम्बर 265 कुल
किता 38 रकबा 6.8630 हैक्ट. कृषि भूमि में खातेदार वादीगण श्री नरेश कुमार, वीरहा व श्रीमती
श्रीमती-जमना पतिन स्व. हरजी शीगा के खाते आ.न. 6246मी./0.05 - 6248/0.01 - 6249/0.23 - 6259मी.
/0.05 - 6260/0.03 - 6261/0.22 - 6262/0.005 - 6264/0.0150 - 7636\6270/0.0200 -

7640\6300/0.10 - 6305मी./0.40 - 6308/0.19 - 7647\6513/0.50 - 6514/0.08 - 6515मी./0.12
कुल किता 15 रकबा 2.0200 हैक्ट. व वादी श्री कवरा पिता अमरा शीगा के नाम आ.न. 7630\6246/0.04 -
7634\6259/0.04 - 6270मी./0.04 - 6279/0.14 - 7639\6282/0.08 - 6283/0.01 - 6300मी./0.24 -
7643\6305/0.25 - 7646\6310/0.20 - 7648\6513/0.30 - 7649\6515/0.12 कुल किता 11 रकबा 1.46
हैक्ट. खाते तथा वादी श्री कमला पिता अमरा के आ.न. 1623/0.10 - 7632\6246/0.05 - 6255मी./0.03 -
7635\6259/0.02 - 6266/0.0080 - 6268/0.04 - 6269/0.05 - 7638\6270/0.02 - 6280/0.15 -
6281/0.02 - 6282मी./0.09 - 6284/0.10 - 7642\6300/0.10 - 7645\6305/0.15 - 6306/0.06 -
6258/0.05 - 6310मी./0.26 - 7651\6515/0.12 कुल किता 18 रकबा 1.4180 हैक्ट. भूमि एवं प्रतिवादी श्री
लक्ष्मण पिता अमरा शीगा के नाम आ.न. 7631\6246/0.05 - 7633\6255/0.03 - 7637\6270/0.02 - 6273/0.
0350 - 6274/0.10 - 6275/0.01 - 6276/0.09 - 6277/0.01 - 6278/0.15 - 7641\6300/0.10 -
6304/0.04 - 7644\6305/0.34 - 6307/0.03 - 6309/0.29 - 6513मी./0.55 - 7650\6515/0.12
कुल किता 16 रकबा 1.9650 हैक्ट. कृषि भूमि अलग-अलग खाते दर्ज की जाते। प्रतिवादी श्री लक्ष्मण पिता अमरा
श्रीगा का पूरा हिस्सा-उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड-उदयपुर के पक्ष में रहने होने में
निर्वाहानुसार श्री लक्ष्मण के नाम अलग कायम किये गये खाते की 1.9650 हैक्टर भूमि पर रहने का दाखला
लगावत रहेगा। तदनुसार तहसीलदार अध्यादेश पालना करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 29.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शैलेश सुराणा)
(पीठाधीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
अध्यादेश
29.6.15



वर्दी	4.00	आदि पत्र के लिए रकम
प्रतिवादी	रकम	1.00